न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 79/2016 दायर तारीख :– 10.08.2016

रवि आनन्द पुत्र तिलकराज आनन्द जाति पंजाबी खुखरान, निवासी बी–4 इन्द्रपुरी न्यू दिल्ली–110012 — वादी

बनाम

1. सुवा पुत्र छोटू
2. प्रेम कंवर पत्नि प्रभू (फौत)
3. हजारी सिंह पुत्र प्रभू
4. सुनिता } पुत्री प्रभू
5. लाली
6. धन्नी पत्नि मालसिंह
7. रेणु पुत्री मालसिंह
8. कमला देवी } पुत्री नाथू
9. कृष्णा देवी

} समस्त जाति दरोगा, निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

10. छोटू } पुत्र मोहब्ब
11. मूला
12. सरवण पुत्र गुल्ला
13. सरबो पुत्री गुल्ला

} समस्त जाति गुर्जर निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

14. रामनाथ पुत्र मांगू जाति अहीर
15. जगदीश प्रसाद पुत्र भोलाराम जाति जाट
16. सुभाष पुत्र भैंरू जाति मीणा

} निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
18. उप पंजीयक एवं तहसीलदार विराटनगर कार्यालय विराटनगर

— प्रतिवादीगण

19. सन्नी आनन्द पुत्र रवि आनन्द जाति पंजाबी खुखरान निवासी बी–4 इन्द्रपुरी न्यू दिल्ली–110012

— तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, एवं श्रीमति विमला अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

[signature] 25/2/17

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2017

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कैरली के खसरा नम्बर 3132/0.72, 3133/0.15, 3134/0.35, 3135/0.05, 3136/0.08, 3137/0.36, 3138/0.05, 3139/0.16, 3140/0.05, 3141/0.49, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2069–72 में खाता संख्या 148 में दर्ज अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खाता संख्या 148 मे से आराजी खसरा नम्बर 3136/0.08, 3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर खातेदार प्रतिवादी संख्या 14 रामनाथ पुत्र मांगू के हिस्सा 1/4 भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिश्री देवी पत्नि बाबूलाल व सन्तोष देवी पत्नि रामजीलाल ने खरीद किया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 398 दिनांक 06.02.2013 द्वारा आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी मिश्री देवी व सन्तोष देवी के नाम दर्ज हुई, तत्पश्चात वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने मिश्री देवी व सन्तोष देवी के दर्ज हिस्से की भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया तथा नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.09.2013 द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 3136/0.08, 3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी खातेदार काश्तकार हैं, तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 14 रामनाथ पुत्र मांगू के अलावा प्रतिवादीगण है। आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदारान ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा था, तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार क्रेता पूर्व खातेदार मिश्री देवी व सन्तोष देवी का आराजी खसरा नम्बर 3144/0.72 हैक्टेयर मे से 0.63 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त रहा है तथा मिश्री व सन्तोष देवी से वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने आराजी के हिस्से 1/4 की भूमि खरीद करते समय उनके कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3144/0.72 हैक्टेयर मे से 0.63 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी के चारों तरफ पुख्ता डण्डा लगा रखा है तथा तीन पुख्ता कमरे एवं बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन बना रखा है। वादी ने प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारे अनुसार आपसी सहमति से कानूनी बंटवारा कराने हेतु कहा

तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कानूनी बंटवारा कराने से साफ इन्कार हो गये एवं बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी के विशिष्ट भू-भाग को बेचान करने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि ग्राम कैरली के खसरा नम्बर 3136/0.08, 3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर का बाहमी बंटवारा अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 148 संवत् 2069-2072, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये गये।
4. वस्तुतः प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर अधिवक्ता वादी ने दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। तारीख पेशी दिनांक 07.12.2016 को दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव तैयार न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
5. तहसीलदार विराटनगर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 06.07.2017 प्राप्त हुआ।
6. बहस अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वाके ग्राम कैरली के खसरा नम्बर 3132/0.72, 3133/0.15, 3134/0.35, 3135/0.05, 3136/0.08, 3137/0.36, 3138/0.05, 3139/0.16, 3140/0.05, 3141/0.49, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2069-72 में खाता संख्या 148 में दर्ज अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह भी कि खाता संख्या 148 मे से आराजी खसरा नम्बर 3136/0.08,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर के खातेदार प्रतिवादी संख्या 14 रामनाथ पुत्र मांगू के हिस्सा 1/4 भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिश्री देवी पत्नि बाबूलाल व सन्तोष देवी पत्नि रामजीलाल ने खरीद किया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 398 दिनांक 06.02.2013 द्वारा आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी मिश्री देवी व सन्तोष देवी के नाम दर्ज हुई, तत्पश्चात वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने मिश्री देवी व सन्तोष देवी के दर्ज हिस्से की भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया तथा नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.09.2013 द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 3136/0.08, 3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/0.06, 3144/0.72, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी खातेदार काश्तकार हैं, तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 14 रामनाथ पुत्र मांगू के अलावा प्रतिवादीगण है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदारान ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा था, तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार क्रेता पूर्व खातेदार मिश्री देवी व सन्तोष देवी का आराजी खसरा नम्बर 3144/0.72 हैक्टेयर मे से 0.63 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त रहा है तथा मिश्री व सन्तोष देवी से वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने आराजी के हिस्से 1/4 की भूमि खरीद करते समय उनके कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3144/0.72 हैक्टेयर मे से 0.63 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी के चारों तरफ पुख्ता डण्डा लगा रखा है तथा तीन पुख्ता कमरे एवं बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन बना रखा है। वस्तुतः उभय पक्षों के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, तथा प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के प्रावधानों नियम 18 से 22 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06.07.2017 प्राप्त की गई है। वादी का निवेदन रहा कि प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा कर दिया जावे। अतः प्रकरण में पक्षकारन के मध्य मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट बंटवारा किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

अधिकारी

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	सुवा पुत्र छोटू हिस्सा 2/9, हजारीसिंह पुत्र प्रभुसिंह, सुनीता, लाली उर्फ शकुन्तला पुत्रियान प्रभू हिस्सा 2/9, धन्नी पत्नि मालसिंह, रेणू पुत्री मालसिंह हिस्सा 2/27, कमला देवी, कृष्णा देवी पुत्रियान नाथू हिस्सा 4/27, छोटू हिस्सा 1/12, रामेश्वर, बाबुलाल, शंकर पुत्रान मूलचन्द, गोरा देवी पत्नि मूलचन्द उर्फ मूला हिस्सा 1/30, नाथी देवी पत्नि ख्यालीराम, कृष्ण, इन्द्राज पुत्रान ख्यालीराम, सुनीता पुत्री ख्यालीराम हिस्सा 2/15, सरवण, सरबो पुत्रियान गुल्ला हिस्सा 1/12	3136/0.08, 3138/0.05, 3140/0.05, 3142/0.61, 3143/1/0.02, 3148/0.47, 3168/0.48 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर
2	रवि आनन्द पुत्र तिलकराज हिस्सा 1/2, सन्नी आनन्द पुत्र रवि आनन्द हिस्सा 1/2	3143/0.04, 3144/0.59 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर
3	सुवासिंह पुत्र छोटू हिस्सा 223/288, जगदीश पुत्र भोलाराम, सुभाष पुत्र भैरूराम हिस्सा 65/288 दर हिस्सा 2/9, हजारी सिंह पुत्र प्रभू, सुनीता, लाली उर्फ शकुन्तला पुत्रियान प्रभू हिस्सा 2/9, धन्नी पत्नि मालसिंह, रेणू पुत्री मालसिंह हिस्सा 2/27, कमला देवी, कृष्णा देवी पुत्रियान नाथू हिस्सा 4/27, छोटू हिस्सा 1/12, रामेश्वर, बाबुलाल, शंकर पुत्रान मूलचन्द, गोरा देवी पत्नि मूलचन्द उर्फ मूला हिस्सा 1/30, नाथी देवी पत्नि ख्यालीराम, कृष्ण, इन्द्राज पुत्रान ख्यालीराम हिस्सा 2/15, सरवण, सरबो पुत्रियान गुल्ला हिस्सा 1/12	3144/1/0.13 हैक्टेयर

25/7/12

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/17

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी विराटनगर

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

रवि आनन्द पुत्र तिलकराज आनन्द जाति पंजाबी खुखरान, निवासी बी–4 इन्द्रपुरी न्यू दिल्ली–110012 — वादी

बनाम

1. सुवा पुत्र छोटू
2. प्रेम कंवर पत्नि प्रभू (फौत)
3. हजारी सिंह पुत्र प्रभू
4. सुनिता } पुत्री प्रभू
5. लाली }
6. धन्नी पत्नि मालसिंह
7. रेणु पुत्री मालसिंह
8. कमला देवी } पुत्री नाथू
9. कृष्णा देवी }

(1 से 9) समस्त जाति दरोगा, निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

10. छोटू } पुत्र मोहब्त
11. मूला }
12. सरवण पुत्र गुल्ला
13. सरबो पुत्री गुल्ला

(10 से 13) समस्त जाति गुर्जर निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

14. रामनाथ पुत्र मांगू जाति अहीर
15. जगदीश प्रसाद पुत्र भोलाराम जाति जाट
16. सुभाष पुत्र भैंरू जाति मीणा

(14 से 16) निवासी कैरली, तहसील विराटनगर

17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
18. उप पंजीयक एवं तहसीलदार विराटनगर कार्यालय विराटनगर

— प्रतिवादीगण

19. सन्नी आनन्द पुत्र रवि आनन्द जाति पंजाबी खुखरान निवासी बी–4 इन्द्रपुरी न्यू दिल्ली–110012

— तरतीबी प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 79/2016 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री मदनलाल जाट व श्रीमति विमला एडवोकेट व हाजरी ....मिन

जानिब मुददई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम कि ग्राम कैरली के खसरा नम्बर 3136 / 0.08, 3138 / 0.05, 3140 / 0.05, 3142 / 0.61, 3143 / 0.06, 3144 / 0.72, 3148 / 0.47, 3168 / 0.48 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर का बाहमी बंटवारा अनुसार कानूनी बंटवास किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार दखल नहीं करें। **सुना गया।** वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	सुवा पुत्र छोटू हिस्सा 2 / 9, हजारीसिंह पुत्र प्रभूसिंह, सुनीता, लाली उर्फ शकुन्तला पुत्रियान प्रभू हिस्सा 2 / 9, धन्नी पत्नि मालसिंह, रेणू पुत्री मालसिंह हिस्सा 2 / 27, कमला देवी, कृष्णा देवी पुत्रियान नाथू हिस्सा 4 / 27, छोटू हिस्सा 1 / 12, रामेश्वर, बाबुलाल, शंकर पुत्रान मूलचन्द, गोरा देवी पत्नि मूलचन्द उर्फ मूला हिस्सा 1 / 30, नाथी देवी पत्नि ख्यालीराम, कृष्ण, इन्द्राज पुत्रान ख्यालीराम, सुनीता पुत्री ख्यालीराम हिस्सा 2 / 15, सरवण, सरबो पुत्रियान गुल्ला हिस्सा 1 / 12	3136 / 0.08, 3138 / 0.05, 3140 / 0.05, 3142 / 0.61, 3143 / 1 / 0.02, 3148 / 0.47, 3168 / 0.48 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर
2	रवि आनन्द पुत्र तिलकराज हिस्सा 1 / 2, सन्नी आनन्द पुत्र रवि आनन्द हिस्सा 1 / 2	3143 / 0.04, 3144 / 0.59 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)

3	सुवासिंह पुत्र छोटू हिस्सा 223/288, जगदीश पुत्र भोलाराम, सुभाष पुत्र भैंरूराम हिस्सा 65/288 दर हिस्सा 2/9, हजारी सिंह पुत्र प्रभू, सुनीता, लाली उर्फ शकुन्तला पुत्रियान प्रभू हिस्सा 2/9, धन्नी पत्नि मालसिंह, रेणू पुत्री मालसिंह हिस्सा 2/27, कमला देवी, कृष्णा देवी पुत्रियान नाथू हिस्सा 4/27, छोटू हिस्सा 1/12, रामेश्वर, बाबुलाल, शंकर पुत्रान मूलचन्द, गोरा देवी पत्नि मूलचन्द उर्फ मूला हिस्सा 1/30, नाथी देवी पत्नि ख्यालीराम, कृष्ण, इन्द्राज पुत्रान ख्यालीराम हिस्सा 2/15, सरवण, सरबो पुत्रियान गुल्ला हिस्सा 1/12	3144/1/0.13 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/17

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)